## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

**राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017**

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 77/12 वाद पत्र

**उनवान**

1. सोहनी देवी पुत्री मोहनलाल लौहार निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

**वादीया**

**बनाम**

1. भैरूलाल आत्मज मोहन लौहार सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. लेहरी पत्नी प्रताप लौहार सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाउा
3. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा

**प्रतिवादीगण**

**वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन –

**अधिवक्ता वादीया**

## निर्णय

11.05.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प सगरेव मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 01 एवं प्रतिवादी संख्या 02 के पति को मौरूसी कृषि आराजियता साबिक खाता संख्या 485 में अंकित आराजी संख्या 814 रकबा 17 बिस्वा, 1486/1क/1 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 1557/1ख रकबा 1 बीघा, 743/6क रकबा 9 बिस्वा, 813 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा स्थित है। जो राजस्व रेकार्ड में वादिया के पिता के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में जमाबंदी संवत 2049 से 2052 को वाद पत्र के साथ पेश है। वादीया एवं प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है।

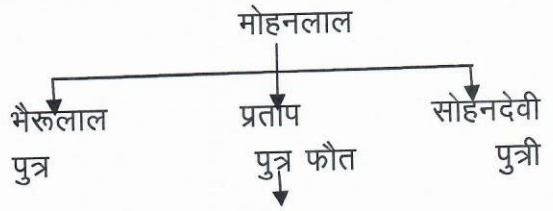


तहसील रायपुर में भू प्रबन्ध होने से ग्राम सगरेव में भी भू प्रबन्ध हुआ जिसमें वाद पत्र की कलम नम्बर एक में अंकित साबिक कषि आराजियात के निम्न नवीन नम्बर कायम किये गये आराजी संख्या 2811 रकबा 0.24 है0, 2812 रकबा 0.28 है0, 3863 रकबा 0.40 है0, 3864 रकबा 0.18 है0, 3868 रकबा 0.09 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.19 है0 कायम किये गये। प्रमाण में मिलान क्षेत्रफल एवं वर्तमान जमाबंदी को नकल साथ संलग्न है। वादीया के पिता की मृत्यु सन् 1999 मे हो जाने पर वाद पत्र की कलम नम्बर 3 में अंकित कृषि आराजियात का विरासत के आधार पर नामन्तरण दर्ज करते समय प्रशासन गावां के संग 2001 में मृतक मोहनलाल के विधिक वारिसानों की जांच किये बिना, वादिया को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामान्तरकरण संख्या 2159 केवल भैरूलाल व प्रताप के नाम दर्ज कर दिया गया जब कि वादिया भी मृतक मोहनलाल की जायन्दा पुत्री होकर जीवत है तथा अपने 1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। नामान्तरकरण संख्या 2159 दिनांक 26.11.2001 एक विधि विरूद्ध एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धातों के विपरीत होने से शुरू से ही नल एण्ड वाईड होकर वादिया के मुकाबले बेअसर है। वादिया मृतक मोहनलाल की जायन्दा पुत्री है तथा धर्म से हिन्दु होकर हिन्दु विधि से शासित होती है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादिया अपनी पैतृक भूमियों में प्रतिवादीगण के बराबर 1/3 हिस्से की अधिकारी है तथा उसके 1/3 हिससे को वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित कराया जाना आवश्यक हो गया है। नामान्तरकरण संख्या 2159 दिनांक 26.11.2001 जिसका अमल दरामद 26.11.2002 को

जमाबंदी में किया गया है, वादिया के मुकाबले बेअसर होकर शुरू से ही नल एण्ड वोइड है तथा प्रतिवादीगण को 1/3 हिस्से से अधिक अधिकार प्राप्त नही होते है। नामान्रकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसडिंग है। नामान्तरकरण के जरिऐ अधिक हिस्सा दर्ज हो जाने से अधिक अधिकार प्राप्त नही हो जाते है। प्रतिवादी संख्या 2 के पति प्रताप की मृत्यु दो माह पूर्व हो जाने से प्रतिवादी संख्या 2 को पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 अपने नाम इन्तकाल खुलवा वादग्रस्त भुमियों को अपने नाम अधिक भुमि दर्ज होने का नाजायज फायदा उठा कर विक्रय करने पर आमादा हो रही है। जिसे जरिये निषेधाज्ञा के रोका जाना आवश्यक हो गया है। वादिया को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिनाय वाद दिनांक 10.08.2012 को प्रतिवादी संख्या 2 वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने तथा वादिया को भूमि में अपना हक नही होने से कब्जा हटाने की धमकी देने पर वादिया द्वारा दिनांक 14.08.2012 को राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त करने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 29.08.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 मे नोटिस जारी किया गया। जिसमें प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुए। जिससे एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वादीगण उपस्थित हुए तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा जवाब मय मौका मर्चा प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाब के अनुसार मुतक मोहनलाल पिता एकलिग लुहार निवासी सगरेव के वारिसान की जांच की गई मोहनलाल के मौजुद वारिसान को बुलाया गया जिन्होने निम्न प्रकार के मुताबि वारिसान होना बताया

मोहनलाल पिता एकलिगं

| भैरूलाल | प्रताप | सोहनी देवी | प्यारी पत्नी फौत |
|---|---|---|---|
| पुत्र | पुत्र फौत | पुत्री | |
| | मु0 लेहरी पत्नि | | |

वक्त मौका पर्चा मृतक का पुत्र भैरूलाल एवं मृतक के पुत्रवधु लहरी उपस्थित है। जिसने भी सोहनी देवी को मोहनलाल की जायन्दा पुत्री होना स्वीकार किया है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम सगरेव तहसील रायपुर के आराजी संख्या 2811 रकबा 0.24 है0, 2812 रकबा 0.28 है0, 3863 रकबा 0.40 है0, 3864 रकबा 0.18 है0, 3868 रकबा 0.09 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.19 है0 में 1/3 हिस्सा वादीया के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

**आदेश**

ग्राम सगरेव तहसील रायपुर के आराजी संख्या 2811 रकबा 0.24 है0, 2812 रकबा 0.28 है0, 3863 रकबा 0.40 है0, 3864 रकबा 0.18 है0, 3868 रकबा 0.09 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.19 है0 में 1/3 हिस्सा वादीया के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

11/5/17

**साधुराम जाट**
**आर.ए.एस.**
**सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)**
**रायपुर जिला भीलवाड़ा**

निर्णय आज दिनांक 11.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

**सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)**
**रायपुर जिला भीलवाड़ा**

11/5/17

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

पीठासीन अधिकारीः—श्री साधुराम जाट आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः— 77/12 वाद पत्र

**उनवान**

1. सोहनी देवी पुत्री मोहनलाल लौहार निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

**वादीया**

**बनाम**

1. भैरूलाल आत्मज मोहन लौहार सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. लेहरी पत्नी प्रताप लौहार सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाउा
3. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा

**प्रतिवादीगण**

**वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सगरेव तहसील रायपुर के आराजी संख्या 2811 रकबा 0.24 है0, 2812 रकबा 0.28 है0, 3863 रकबा 0.40 है0, 3864 रकबा 0.18 है0, 3868 रकबा 0.09 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.19 है0 में 1/3 हिस्सा वादीया के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

यह आज तारीख 11.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
11/5/17